प्रेस नोट दिनांक 01-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में दिनांक 01-01-2022 से दिनांक 31-12-2022 तक किये गये सराहनीय कार्यों/उपलब्धियों का विवरण-

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जनपद में शान्ति-व्यवस्था कायम रखते हुये अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध व कार्यवाही करते हुए जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा गुण्डा, गैंगस्टर, एन0एस0एस0, चोरी, लूट इत्यादि के विरुद्ध व्यापक सराहनीय कार्यवाही की गयी। जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर जनपद की कानून-व्यवस्था में व्यापक सुधार किये गये। इसके अतिरिक्त पुलिस व पुलिस परिवार के कल्याणार्थ विभिन्न कार्य किये गये। जिसका विवरण निम्नवत है-

फीडबैक सेल का गठन -

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा फीडबैक सेल का गठन कर (PAR System) पब्लिक अप्रूवल सिस्टम के माध्यम से लोगो द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना-पत्रों(आई0जी0आर0एस0), एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0 के वादी, पासपोर्ट आवेदक से दूरभाष पर वार्ता कर तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर ट्वीटर व डायरेक्ट पोल कर आम जन से पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही/आचरण/व्यवहार के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है। जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली में निरन्तर सुधार हो रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है। प्रदेश स्तर पर IGRS निस्तारण Ranking में जनपदीय पुलिस पिछले 02 माह से टाप-5 में है। माह जुलाई से माह नवम्बर तक की मासिक जनपदीय ओवरआल रेटिंग का प्रतिशत माह जुलाई में 68.53, माह अगस्त में 79.87, माह सितम्बर में 82.07, माह अक्टूबर में 83.78 तथा माह नवम्बर में 83.82 रहा। जिसमें प्रत्येक माह लगातार सुधार हो रहा है।

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2022 में सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर कुल 281 अभियुक्तों को सजा दिलाया गया-

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर कुल 281 अभियुक्तों को सजा दिलाया गया जिसमें पॉक्सो एक्ट के 04 अभियुक्तों को सजा कराया गया, जिसमें से एक को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदण्ड, एक को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा एक को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया, तथा चौथे अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं रुपये 5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। बलात्कार के 11 अभियुक्तों को सजा कराया गया। तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास व 25000-25000 का अर्थदण्ड, दो को 07-07 वर्ष की कठोर कारावास व 7000-7000 अर्थदण्ड एक को 8 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व 25000 अर्थदण्ड, एक को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व 20000/- तीन को 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा व 5000 अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया व एक बाल अपचारी को 3 वर्ष के सुधार गृह भेजे जाने से दण्डित कराया गया। हत्या के 09 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 75000, 26000, 25000, 27000, 27000, 40000, 40000, 20000 व 20000 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। दहेज मृत्यु के 09 अभियुक्त में से को 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 18000 रूपये से दण्डित कराया गया तथा 02 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कठोर कारावास

व15000/- 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का क 22 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। गैंगेस्टर एक्ट के 08 अभियुक्तों को सजा कराया गया। **एक** को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 हजार रुपये अर्थदण्ड, **01** को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड व **01** अन्य को 03 वर्ष 08 माह 10 दिन का कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदण्ड, **01** को 02 वर्ष 04 माह का कठोर कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा **दो** अभियुक्तो को दो-दो वर्ष का कारावास व 10000-10000 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 10000 रूपये प्रत्येक के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। **धारा 294** भा0द0वि0 के 48 अभियुक्तों अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। अन्य भा0द0वि0 के 85 अभियुक्तो, एनडीपीएस अधिनियम के 39 अभियुक्तों एवं अन्य अधिनियम के 39 अभियुक्तों को सजा कराया गया।

आपरेशन त्रिनेत्र -

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व घटना के अनावरण में सहयोग आदि हेतु जन-सहयोग से जिले के सभी थानों के 56 चौराहो/स्थानों पर आपरेशन त्रिनेत्र के तहत जनसहयोग से 206 सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित कराये गये। मुख्यालय के मुख्य चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे पुलिस द्वारा लगवाकर निरन्तर मानीटरिंग की जा रही है।

UP-112 के द्वारा कृत कार्यवाही-

सिद्धार्थनगर पुलिस यू0पी0-112 द्वारा लगातार भ्रमणशील रहते हुए कालर को त्वरित गति से पहुंचकर मदद की जा रही है। प्रदेश स्तर पर जनपद सिद्धार्थनगर UP-112 का औसत रिस्पान्स टाइम 07 मिनट 51 सेकण्ड का है और वह उत्कृष्ठ प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर पर पिछले 06 माह से टाप-5 में है। यू0पी0-112 द्वारा समय समय पर विभिन्न जनजागरूकता अभियान चलाकर आम जन मानस को जागरूक किया जाता है। मोबाइल में बैलेंस न होने पर भी इमरजेन्सी में 112 नम्बर डायल कर त्वरित सेवा प्राप्त हो जाती है। जनपद में तीन पी0आर0वी0 सिद्धार्थनगर, शोहरतगढ़ व डुमरियागंज में महिला पी0आर0वी0 24 घण्टें कार्य कर रही है जो किसी भी समय महिलाओं को आवश्यकतानुसार त्वरित कार्यवाही कर सुरक्षा/सहायता का एहसार कराती थी। जनपद में कुल 17 दो-पहिया व 30 चार-पहिया पी0आर0वी0 24 घण्टे आम जन की सहायता कर रही है। उक्त वाहनों पर चुनिंदा जवानों को प्रशिक्षण देकर तैनात किया गया है। यू0पी0 112 की सेवा अब व्हाट्स एप, ट्वीटर, फेसबुक द्वारा ली जा सकती है।